# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

### e-Stamp

सत्यमेव जयते

ACC Name- Amit Kumar Maurya
ACC Code- UP14459904
ACC Address- Tehsil Machhali shahar
Mob.- 9170755725 License No.- 540
Tehsil- Machhali shahar, Dist- Jaunpur

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP09576436517430T |
| Certificate Issued Date | : | 22-Oct-2021 03:13 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14459904/ MACHHLI SHAHAR/ UP-JNP |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14459904084272141554 79T |
| Purchased by | : | GANGA PRASAD SHARMA E A C T MAIN TRUSTI ONKARNATH |
| Description of Document | : | Article 64 (A) Trust - Declaration of |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | GANGA PRASAD SHARMA E A C T MAIN TRUSTI ONKARNATH |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | GANGA PRASAD SHARMA E A C T MAIN TRUSTI ONKARNATH |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 800<br>(Eight Hundred only) |

उपनिबन्धक मछलीशहर, जौनपुर
ई-स्टाम्प सत्यापित

Please write or type below this line

KC0004650684

Statutory Alert:

# ट्रस्ट/न्यास डीड (दस्तावेज)

## गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट/न्यास,

ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर,

तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर

हमकि **ओंकारनाथ शर्मा निवासी ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ।**

1. मैं गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश के नाम ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ। E Stamp→ IN-UP09576436517430T Date- 22-10-2021

2. **ट्रस्ट न्यास की विविध प्रतिबद्धता–**

गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है इस ट्रस्ट पर 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होगे। जो इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

3. ट्रस्ट (न्यास) का नाम :–

गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट/न्यास

4. ट्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता :

ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0।

5. ट्रस्ट (न्यास) का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत।

6. न्यास निर्माता (न्यासकर्ता) :

**ओंकारनाथ शर्मा निवासी** ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उ0प्र0

7. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद :– रविन्द्रनाथ शर्मा उपाध्यक्ष, अतुल कुमार शर्मा प्रबन्धक, आशीष कुमार शर्मा उपप्रबन्धक, अमनशर्मा कोषाध्यक्ष, सुनरा देवी शर्मा सदस्य, मन्जू शर्मा सदस्य, अनामिका शर्मा सदस्य

8. न्यासधारी (ट्रस्टी)– **गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट** ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश।

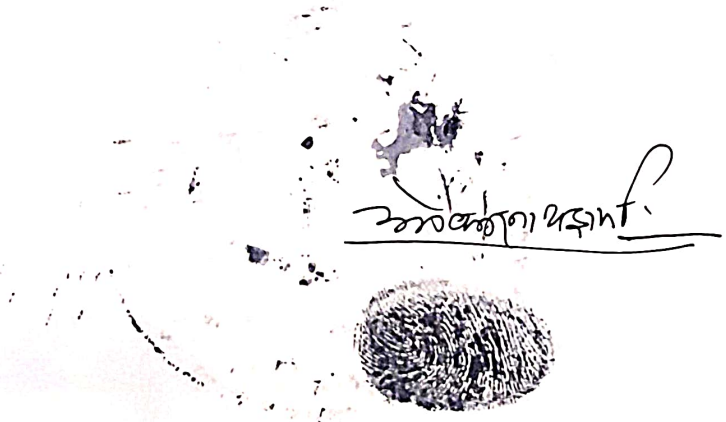

आवेदन सं०: 202100983008058

## न्यारा पत्र

बही स०: 4     रजिस्ट्रेशन स०: 101     वर्ष: 2021

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600





श्री ओंकारनाथ शर्मा ,
पुत्र श्री गंगा प्रसाद शर्मा
व्यवसाय : वकालत
निवासी: ग्राम जयपालपुर परगना-मुंगरा, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/10/2021 एवं 03:50:14 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती नवनीता सिंह
उप निबंधक :मछलीशहर
जौनपुर
22/10/2021

श्री अंकित श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

10. **ट्रस्ट का स्वरुप–** यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर, उठकर जनहित में "सर्व सुखाय, सर्व हिताय" में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से कार्य करेगी।

11. **लाभग्राही –** हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद –भाव के सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र, प्राणिमात्र के सर्वागीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगी और सभी को समान लाभ पहुॅचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणि व वनस्पतियों के विकस व कल्याण में कार्य करेगी।

12. **हितग्राही व्यक्ति–** ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

13. **ट्रस्ट के उद्देश्य –**

**इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/उद्देश्य निम्नलिखित होगें।**

1. बालक–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए निम्न स्तर से उच्च स्तर तक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

**आवेदन सं०: 202100983008058**

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 101 वर्ष: 2021

**निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त**

**न्यासी: 1**

श्री ओकारनाथ शर्मा, पुत्र श्री गंगा प्रसाद शर्मा

निवासी: ग्राम जयपालपुर परगना-मुंगरा, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर

व्यवसाय: वकालत




**ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान**

**पहचानकर्ता : 1**

श्री त्रिभुवननाथ शर्मा, पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा

निवासी: ग्राम माधोपुर परगना-घिसुआ, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर

व्यवसाय: कृषि




**पहचानकर्ता : 2**

श्री बालकिशुन शर्मा, पुत्र श्री सेवालाल शर्मा

निवासी: ग्राम माधोपुर परगना-घिसुआ, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर

व्यवसाय: कृषि




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

श्रीमती नवनीता सिंह
उप निबंधक : मछलीशहर
जौनपुर

श्री अंकित श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक



22-10-2021, 15:57

2. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विविध बोर्डो एवं विश्व विद्यालयों से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त कर उसकी स्थापना व संचालन करना।
3. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निः शुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
4. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षो का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूक–वधिर, नेत्रहीन, एवं गरीब बालक– बालिकाओं हेतु निः शुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान–विज्ञान, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समस्त लघु उद्योगों का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
10. निर्धन, असहाय, तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को निः शुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

11. गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई–बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्ट हैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
12. जनसंख्या नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन करना।
13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हे स्वरोजगार देने हेतु निः शुल्क प्रशिक्षित करना।
15. ग्रामीण बेरोजगार, युवक युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईट भट्ठा टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईट, लौह, उद्योग, दाल–मिल, चावल–मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी, उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निः शुल्क प्रशिक्षण देना।
16. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योंपैथ एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के स्म्बन्ध में गोष्ठियां आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।

18. समय–समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
19. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
20. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों को पल्स पोलियों, हेपेटाइटिस–बी के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निः शुल्क व्यवस्था करना।
22. समय–समय पर भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।
23. समाज में फैली कुरीतियों जैसें–तलाक, दहेज, प्रथा, आनर किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगो को जागरुक करना।
24. ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकि एव इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निःशल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
25. लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
26. गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय विद्यालय का निः शुल्क संचालन करना।
27. असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।
28. असहाय वृद्ध व्यक्तियों के वृद्धा आश्रम एवं सांस्कृतिक केन्द्र खुलवाना।

29. रोजगार परक तकनीकि शिक्षण संस्थानों का संचालन जन, शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।

30. कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज, विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।

31. संस्थाओं में प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युत की आपूर्ति करना।

32. कागज उद्योग, कापी उद्योग लगाना एवं प्रिटिंग कार्य में कौशल क्षमता को बढ़ाना।

**14. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति :–**

ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी समिति मे दस्तावेज मे उल्लिखित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, सदस्य। यही आठ लोग आजीवन व संस्थापक सदस्य होगें। प्रबन्धकारिणी समिति में पद रिक्त होने पर केवल इनके वंशजों द्वारा ही उसकी पूर्ति की जायेगी।

**15. प्रबन्ध समिति मे उत्तरदायी पद :–**

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति मे उत्तरदायी पद ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी उपाध्यक्ष ट्रस्टी प्रबन्धक, ट्रस्टी, उपप्रबन्धक, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष, ट्रस्टी, सदस्य होंगे। ये सभी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगें।

**16. ट्रस्ट की सदस्यता :–** ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी।

1. **संस्थापक ट्रस्टी** – इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी होगें जिन्हे किसी भी प्रकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवन काल में कार्यकारी ट्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते है।

2. **मुख्य ट्रस्टी :–** अतुल कुमार शर्मा, आशीष कुमार शर्मा, अमन शर्मा मुख्य ट्रस्टी होगे।

3. **सहयोगी ट्रस्टी:–** रविन्द्रनाथ शर्मा, सुनरा देवी शर्मा सदस्य, मन्जू शर्मा सदस्य, अनामिका शर्मा सदस्य सहयोगी ट्रस्टी होगें।

4. **ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति** –पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्यागपत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगा।

**17. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना,–रेहन रखना, ऋण लेना अनुदान लेना आदि।
3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु अधिकारी प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था के परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उपसमितियों का गठन करना उनके पदाधिकारियों को मनोनित करना उन्हे अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकार को वापस लेना।

5. ट्रस्ट के व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग–अलग बैंक खातो को समयानुसार चालू कराने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हे बन्द करना या परिवर्तन करना।

6. ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद–विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

7. वार्षिक आय'व्यय का लेखा जोखा स्वीकृत करना, तथा आगामी बजट तैयार कराना।

8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।

9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो अध्यक्ष/प्रबन्धक की सहमति से आवश्यकता अनुसार महसूस किये जायेगें तथा ट्रस्ट के हित में होगा।

11. प्रमुख न्यासी किसी भी समय यदि वे यह मानते है कि न्यास हित में यह आवश्यक है, कि न्यास हित के लिए किसी शर्त पर अथवा वह उचित समझते है, कि किसी बन्धक पर ऋण आवश्यक है, ले सकते है।

(अ) प्रमुख न्यासी न्यास के किसी विशेष या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुदान, अंशदान और अभिदान उपहार न्यास के नाम पर या अन्य तरीके से किसी व्यक्ति, निगम संस्था, राज्य या किसी देश के केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी अन्य न्यास संस्था के रुप से या अर्न्तराष्ट्रीय अभिकरण और ऐसे सभी तरीको से जैसे कि सोना, चॉदी के रुप में धन, आभूषण यन्त्र कार्यशाला, उद्योग, चालु समुत्थान, भण्डार, कच्ची सामाग्री या उससे बने पदार्थ स्वात्वाधिकार, अधिकारी, अनुज्ञप्ति लाभदायी जानवरों की रियात और सभी प्रकार की स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियॉ स्वीकार कर सकते है, परन्तु तथापि प्रमुख न्यासी बिना कोई कारण बताये स्वविवेक से ऐसे सभी प्रकार के अंशदान या दान जिसमें किसी प्रकार की स्थायी व अस्थायी सम्पत्ति जो भी हो न्यासी द्वारा प्राप्त किये जायेगे, जो न्यास सम्पत्ति के "काय" का भाग होगी।

(ब) ऐसा दान या अनुभाग यदि किसी न्यासी द्वारा स्वीकार की गयी तो वह ऐसे बरता जायेगा जैसा कि उसके खर्च और व्ययन के सम्बन्ध में न्यास बिलेख के शर्तो व नियमों के अनुसार हमेशा निर्णय द्वारा पुष्टि किया जायेगा।

**18. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था** :– ट्रस्ट के कोष को सुचारु रुप से रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीय कृत मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

**19. संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम से वैध मानी जायेगी।

**20 विवादित स्थिति पर निर्णय** :– ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

21. **ट्रस्ट के रिकार्ड व अभिलेखः**—एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद बही, पासबुक, चेक बुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होगे।

22. **अनुशासनात्मक कार्यवाहीः**— ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णरू ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णण से संतोष नही होता तो वह प्रमुख ट्रस्टी के पास इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन अध्यक्ष के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें। प्रमुख समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और प्रबन्धक समिति द्वारा लिया गया निर्णय प्रमुख ट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

23. **वाद तथा प्रतिवाद** — समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादो का न्याय क्षेत्र जनपद—जौनपुर उत्तर प्रदेश रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों या दूसरो द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद—विवाद/प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होगे व्यक्तिगत नाम से नही होगें और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद—प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारियों को मनोनीत कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

24. परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता :–

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं परियोजनाओं का संचालन ग्राम, नगर स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील ब्लाक, नगर या ग्रामो में चलायी जायेगी।

25. पदों का सृजन– ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हे कार्य की जिम्मेदारी दे जा सकता है।

26. ट्रस्ट/न्यास का विस्तारः– **गंगा प्रसाद शर्मा एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट** अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

27. लेखा–जोखा (आडिट):– आर्थिक वर्ष के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास अपने लेखा जोखा को चुस्त–दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा आवश्यकता पड़ने पर खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मद्द भी ले सकता है।

इस न्यास बिलेख पर निम्नलिखित गवाहो के समक्ष दिनांक 23.10.2021 में हस्ताक्षरित करते है एवं सब रजिस्ट्रार मछलीशहर जौनपुर की कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करते है।

**वर्तमान समय में ट्रस्ट के नाम से कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।**

उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति धनराशि रु0 11000/–( ग्यारह हजार)रुपये पर स्टाम्प शुल्क 800/– अदा किया जा रहा है।

ओंकारनाथ शर्मा

**हस्ताक्षर न्यासकर्ता/अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी**

ओंकारनाथ शर्मा निवासी ग्राम–जयपालपुर, रामनगर, मुँगरा बादशाहपुर, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश–222202,

आधार नं0–6448 1999 8984

मो0नं0–9695352815

मसविदाकर्ता ललित मोहन तिवारी एडवोकेट

**श्री ललित मोहन तिवारी एडवोकेट**

तहसील–मछलीशहर, जौनपुर

टाईपकर्ताः–

**सुरेश कुमार मौर्य**

मछलीशहर, जौनपुर

दिनांक–23.10.2021

ओंकारनाथ शर्मा

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

ओंकार नाथ शर्मा
Onkar Nath Sharma
जन्म तिथि/ DOB: 25/01/1957
पुरुष / MALE

6448 1999 8984

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: गंगा प्रशाद शर्मा,
जयपालपुर, जय पाल पुर,
जौनपुर,
उत्तर प्रदेश - 222202

Address:
S/O: Ganga Prasad Sharma,
Jaypaalpur, Jai Pal Pur, Jaunpur,
Uttar Pradesh - 222202

6448 1999 8984

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

गवाह नं. 1

त्रिभुवननाथ शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा
निवासी ग्राम–माधोपुर, पोस्ट–बरावॉ,
तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर
मो0नं0–9918754918

गवाह नं. 2

बालकिशुन शर्मा पुत्र सेवालाल शर्मा
निवासी ग्राम–माधोपुर, पोस्ट–बरावॉ,
तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर
मो0नं0–9919723612

इस न्यास बिलेख को एडवोकेट द्वारा अभिलिखित किया गया है।

आवेदन सं०: 202100983008058

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 55 के पृष्ठ 161 से 194 तक क्रमांक 101 पर दिनाँक 22/10/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती नवनीता सिंह
उप निबंधक : मछलीशहर
जौनपुर
22/10/2021